मीरजापुर पुलिस
—प्रेस नोट—

दिनांकः25.01.2025

थाना राजगढ़ पुलिस द्वारा 03.632 किग्रा अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार —

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'सोमेन बर्मा' द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान तथा मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री, अवैध/अपमिश्रित शराब का निर्माण/बिक्री करने वालो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में दिनांकः 24.01.2025 को उपनिरीक्षक रामकिशोर व दौल राम मय पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र/गश्त में मामूर थे कि इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति तपेश्वर पुत्र बन्धु निवासी दरवान थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर मीरजापुर को हाथ में लिए थैले के साथ पकड़ा गया, जिसके द्वारा थैले में गांजा रखा होना बताया गया। थाना राजगढ़ पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर थैले में 02 अलग-अलग प्लास्टिक के पैकेटो में रखा हुआ कुल 03.632 किग्रा अवैध गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त तपेश्वर द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह अपने अन्य 02 साथियों से गांजा लेकर पुड़िया में भरकर बिक्री करने का काम करता है। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना राजगढ़ पर एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया तथा गांजा बिक्री की उपरोक्त घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

तपेश्वर पुत्र बन्धु निवासी दरवान थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-27 वर्ष।

विवरण बरामदगी —

प्लास्टिक के 02 अलग-अलग पैकेटो में रखा हुआ कुल 03.632 किग्रा अवैध गांजा।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-14/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

सक्तेशगढ़ दरवान रोड दरवान मोड के पास से, दिनांकः24.01.2025 को समय 21.50 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उप-निरीक्षक रामकिशोर व दौलत राम थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर।

मुख्य आरक्षी भानू प्रताप यादव व आरक्षी अफरोज खां।